N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0045 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/02/2025 16:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 19/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:50 बजे **Time To (समय तक):** 17:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/02/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/02/2025 16:44:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 510 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALYA SAHAKARI SAMITIYA, JILA DUNGARPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BUPESH PATIDAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHEMRAJ PATIDAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MUKAM POST UPARGAON, DUNGARPUR, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MUKAM POST UPARGAON, DUNGARPUR, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIVEKANAND		पिता:INDARDEV SINGH	1. GRAM MILKI CHKRAMPURA,, POST JAINTIPUR KURUA, जहानाबाद,बिहार,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाकियात मामला हाजा इस संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.12.2024 को समय करीब 11.50 एएम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार पिता खेमराज पाटीदार जाति पाटीदार, उम्र 32 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट उपरगांव, तहसील व जिला डूंगरपुर हाल अध्यक्ष ब्राईट फ्यूचर संस्थान उपरगॉव जिला डूंगरपुर। मो.नं. [redacted] एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार पिता श्री देवीलाल पाटीदार जाति पाटीदार, उम्र 34 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट उपरगांव, तहसील व जिला डूंगरपुर हाल सचिव ब्राईट फ्यूचर संस्थान उपरगॉव जिला डूंगरपुरा। मोबाईल नं. [redacted] से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर पर उपस्थित होकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय हस्ताक्षरशुदा इस आशय की प्रस्तुत की कि " मैं भूपेश पाटीदार पिता खेमराज पाटीदार निवासी उपरगांव उम्र 32 साल, पोस्ट उपरगॉव, तहसील डूंगरपुर जिला डूंगरपुर(राज,) हाल अध्यक्ष ब्राईट फ्यूचर संस्थान उपरगॉव का हूँ। NGO (ब्राईट फ्यूचर संस्थान, उपरगॉव) के सदस्य जोडने व हटाने के कार्य हेतु ऑनलाईन आवेदन कार्यायल उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थान, डूंगरपुर में आवेदन दिनांक 25.09.2024 को किया थां आज दिनांक तक उक्त कार्य नहीं हुआ हैं। ऑनलाईन पोर्टल पर देखा गया तो Lavel 1st अप्रुव 14.10.2024 को हो गया था इसके बाद मैं उप रजिस्ट्रार कार्यालय डूंगरपुर में जाकर श्री विवेकानंदजी से मिलकर मेरे द्वारा संस्थान के आवेदन के बारे में चर्चा की जिस पर विवेकानन्दजी ने बताया की संस्थान के दस्तावेजों को सही करके पुनः अपलोड करे जिसमें मैने विवेकानन्दजी के लगाए ऑपजेक्शन के अनुसार सभी दस्तावेजों को सही कर पुनः अपलोड किया गया। फिर कल दिनांक 17.12.2024 को मैं कार्यालय उप रजस्ट्रार में जाकर श्री विवेकानन्दजी से मिला और मैने कहॉ की आपके द्वारा लगाए गए ऑपजेक्शन की पूर्ति की जाकर पुनः सभी दस्तावेजों को पुनः अपलोड किये हैं। जिस पर भी आज तक अप्रुवल नहीं हुआ हैं। जिस पर विवेकानन्दजी ने बताया की आपने अपलोड किया वो तो ठीक नहीं हैं अभी और कई आक्षेप हैं। मैंने कहां की जितनी पूर्ति मेरे द्वारा हो सकी थी मैंने कर दी हैं अब आप बताओं क्या करना हैं। जिस पर उन्होने (विवेकानन्दजी) ने बताया की मेरे फीस 15 हजार रूपया हैं। जिसमें ये आपको एक फोर्मेट उपलब्ध करवाउंगा उसके अनुसार आप सही करके पुनः अपलोड दस्तावेजों को अपलोड करना आपका अप्रुवल हो जाएगा। जिस पर मैने कहा की 15 हजार तो ज्यादा हैं। थोडे कम करों जिस पर 8 हजार रूपये लेने पर विवेकानन्दजी से सहमती हुई। इस प्रकार श्री विवेकानन्दजी कार्यालय उप रजिस्ट्रार पंजियन कार्यालय डूंगरपुर Online N.G.O. अप्रुवल करने के बदले में फीस के रूप से 8 हजार रूपये रिश्वत् राशि की मांग कर रहा हैं। मैं श्री विवेकानन्दजी को रिश्वत् राशि नहीं देना चाहता हूँ। रिश्वत् लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री विवेकानन्दजी से पुरानी कोई दुश्मनी नहीं हैं, ना ही कोई पुरानी लेन देन बाकी हैं। उचित कार्यवाही करे। श्री नरेश कुमार पाटीदार पिता देवीलाल पाटीदार मु. पो. उपरगॉव जिला डूंगरपुर हाल सचिव ब्राईट फ्यूचर संस्थान के पद पर कार्यरत हैं। जो कार्यवाही में मेरे साथ आए हैं।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो मामला रिश्वत राशि लेन-देन का पाया गया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया हम आज ही श्री विवेकानन्दजी से बात करके आये हैं। उन्होने हमे कल वापस अपने कार्यालय पर बुलाया हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार को दिनांक 19.12.2024 को प्रातः 10.00 बजे ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देते हुए रूखसत किये गये। दिनांकः 19-12-2024 को समय करीब 11.45 ए.एम पर पूर्व में पाबन्दशुदा परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार कार्यालय में उपस्थित हुए। जिन्हे अपने कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय में पदस्थापित श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को अपने कक्ष में बुलाया एवं परिवादी श्री भूपेश पाटीदार से आपस में परिचय करवाया जाकर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से कार्यालय हाजा की अलमारी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गई। तत्पश्चात् समय करीब 12.30 पीएम पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के अपनी सरकारी मोटरसाईकिल एवं परिवादी एवं सहपरिवादी को उनकी निजी कार से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। समय करीब 05.25 पी.एम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. कार्यालय में उपस्थित हुआ एवं डिजिटल टेप रिकार्डर बंद हालात में मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया एवं बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी के पिछे-पिछे कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ, डूंगरपुर के नजदीक पहुचा एवं परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर मय

मेमोरी कार्ड चालू कर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार को सुपुर्द कर संदिग्ध से मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार के साथ रवाना किया एवं मैं मेरी उपस्थिति छुपाते हुए वहीं मुकीम रहा। थोडी देर बाद परिवादी श्री भूपेश पाटीदार मेरे पास आया एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू अवस्था में मुझे सुपुर्द किया जिस मैने बंद कर मेरे पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध से मेरी वार्ता हुई। जिसमें रूपयों के बारे में कोई बात नहीं हैं एवं श्री विवेकानन्दजी ने मेरे स्कुल में आकर बात करने हेतु बोला हैं। जिस पर मैने आपसे बात की तो आपके निर्देशानुसार मैं परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं श्री नरेश पाटीदार को लेकर उनके ब्राईट नोबल स्कुल उपरगॉव डूंगरपुर पर गया। मैं स्कुल में बने एक कमरे में बैठ गया एवं परिवादी को बोला कि संदिग्ध जब भी स्कुल पर आये तो मुझे बताना। समय करीब 03.45 पीएम पर परिवादी ने मुझे बताया कि अभी मेरे पास श्री विवेकानन्दजी का फोन आया हैं और उन्होने मुझे बताया कि मैं पांच मिनट में आपके स्कुल में पहुंच रहा हूँ। जिस पर मैने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर परिवादी को मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द किया गया। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए वहीं कमरे में बैठ गया। करीब एक घंटे बाद परिवादी श्री भूपेश पाटीदार मेरे पास आया और मुझे टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने बताया कि श्री विवेकानन्दजी मेरे पास आये और बोला कि, बस ठीक हैं पैमेन्ट तैयार हैं जिस पर मैने कहा कि आप उसमें कुछ डिस्काउन्ट करो तो उन्होने बोला कि अब उसमें कोई डिस्काउंट नहीं करूंगा। डिस्काउंट जो करना था वो कर दिया हैं, एक दो बार एक्सप्रियेन्स तो करो आठ ही हजार तो खर्चा कर रहे हो, ऐसा क्या जरूरी हैं कि, सिर्फ आठ ही चाहते हो, वो दो तीन काम ऑब्जेक्शन में हो गये तो उन्होने अपना ऑब्जेक्शन क्लीयर कर दिया। आज फाईल निकल गई। सिखो और एक बार खर्च भी करो, कडवी बात हैं तो मत करो। जिस पर मैने कहा कि इसको बनाकर लाते हैं आप ईधर आ जाओगे, श्री विवेकानन्द जी ने कहा कि मैं ईधर ही आ जाउंगा, रास्ते में ही हैं फिर ईधर उधर जाना नहीं पडेगा। जिस पर मैंने कहा ठीक हैं, तो विवेकानन्दजी ने कहा कि ठीक है पैमेन्ट करो और ये ले लो। फिर मैने कहा कि ये तो आप पीडीएफ बनाकर भेज दो आप सब कर दो फिर उन्होने कहा कि इसलिये तो कह रहा हूँ पैमेन्ट करो। जिस पर मैने कहा कि जब सबमीट करने आयेंगे तब पूरा पेमेन्ट कर देंगे, तो उन्होने कहा कि नहीं, तो मैने कहा कि अभी हमारे पास जो पडे हैं, ये लो दो हजार उसमें आ जायेगा और बाकी के छः हजार कल कम्पलीट करके ले आयेंगे, यह कहते हुए 2000 रूपये उनके सामने टेबल पर रखे दिये, तो उन्होने कहा कि अब मैं कल नहीं हूँ सोमवार को मिलूंगा, तो मैने कहा कि कोई बात नी सोमवार को पैमेन्ट कर देंगे बनाने में अपने को भी टाईम लगेगा ना, फिर उन्होने कहा कि तुम्हारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं हैं। जिस श्री नरेशजी ने कहा कि हमारे पास काम करने का पूरा पावर नहीं हैं। जिस पर उन्होने कहा कि ये भी रख लो, तब नरेशजी ने कहा कि एक साथ दे देंगे, तो उन्होने कहा कि अभी क्या दिक्त हो रही हैं। जिस पर मैने कहा कि कोई दिक्कत नहीं हैं। तो उन्होने कहा कि पूरे पैसे कैश में नहीं हैं, तो गुगल पे करदो कहते हुए उनके गुगल पे नम्बर [redacted] देते हुए इस पर पैमेन्ट करने हेतु कहा जिस पर श्री नरेशजी ने गुगल पै से उक्त नम्बर पर 8,000/- रूपये ट्रांसफर कर दिये। जिस पर मैं आपके निर्देशानुसार कार्यालय में उपस्थित आया हूँ। तत्पश्चात मन् पुलिस उपअधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू सुना गया तो कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। समय करीब 06.30 पी.एम पर आरोपी श्री विवेकानन्द ने परिवादी श्री भूपेश पाटीदार से दौराने मांग सत्यापन परिवादी पर दबाव बनाकर अपनी मांग अनुसार 8,000/- रूपये जरिये गुगल पे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिये। परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार को प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु आईन्दा ब्यूरो कार्यालय में तलब किया जावेगा। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से कार्यालय की अलमारी सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 23-12-2024 को समय करीब 10.51 पी.एम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार से जरिये मोबाईल वार्ता की गई कि आप कल दिनांक 24.12.2024 को समय करीब 10.00 एएम पर उपस्थित होवे। जिस पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार ने बताया कि हमारा स्कुल दो बजे तक चलता हैं। स्कुल समय पूरा होने के बाद कार्यालय में उपस्थित होंगे। दिनांक 24-12-2024 को समय 01.00 पी.एम पर प्रकरण में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही हेतु गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय उप वन संरक्षक, डूंगरपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1398 दिनांक 24.12.2024 एवं कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डूंगरपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 1399 दिनांक 24.12.2024 जारी कर कानि. श्री महेश चन्द्र को तलबी हेतु रवाना किया गया। समय करीब 03.25 पी.एम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हुए। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने बताये तथ्यों के बारे पूछा तो उन्होने कानि. के तथ्यो की पुष्टि की गई और बताया हमने श्री विवेकानन्दजी को रिश्वत के रूपये नहीं देने की पूरी कोशिश लेकिन उन्होने हम पर दबाव बनाकर ऑन लाईन 8000/- रूपये रिश्वत के जरिये गुगल पे ट्रांसफर करवा लिये। सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार ने अपने मोबाईल से आरोपी श्री विवेकानन्द के मोबाईल नं. [redacted] पर 8,000/- रिश्वत् राशि जरिये गुगल पे ट्रांसफर किये थे, जिसका स्क्रीनशॉट एवं सहपरिवादी द्वारा उसके आईडीबीआई बैंक खाता 1518104000001540 से आरोपी श्री विवेकानन्द को 8,000/- रिश्वत् राशि ट्रांसफर की थी, जिसका स्टेटमेंट पेश किया जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 03.45 पीएम पर पूर्व में तलबशुदा गवाहान श्री महेन्द्र सिंह पिता श्री भवानीसिंह पडीयार जाति राजपुत उम्र 29 वर्ष निवासी पुंजपुर हाल कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण

विभाग खण्ड डूंगरपुर जिला डूंगरपुर। मो.न [redacted] एवं श्री शत्रुघ्न अहारी पिता श्री सहदेव अहारी जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी रघुनाथपुरा तहसील दोवडा जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक उप वन संरक्षक कार्यालय डूंगरपुर। मो.न [redacted] ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए। दोनों स्वतंत्र गवाहान को अबतक की ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात बताये जाकर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी श्री भूपेश पाटीदार की ओर से ब्यूरो कार्यालय में प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की सहमती प्राप्त करने हेतु कहा गया तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमती दी। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार ने अपने मोबाईल से आरोपी श्री विवेकानन्द के मोबाईल नं. [redacted] पर 8,000 रिश्वत् राशि जरिये गुगल पे ट्रांसफर किये थे, जिसका स्क्रिीनशॉट एवं सहपरिवादी द्वारा उसके आईडीबीआई बैंक खाता 1518104000001540 से आरोपी श्री विवेकानन्द को 8,000 रिश्वत् राशि ट्रांसफर की थी, जिसके स्टेटमेंट का स्वतंत्र गवाहान को अवलोकन कराया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री भूपेश पाटीदार ने बताया कि मेरे कार्यालय में सीसीटीवी केमरे लगे हुए हैं। जिस समय मेरे व श्री विवेकानन्दजी के लेनदेन वार्ता हुई उसका विडियो रिकॉडिंग मैं आपको पेनड्राईव में दे दूंगा। समय करीब 04.30 पी.एम पर आरोपी श्री विवेकानन्द ने परिवादी श्री भूपेश पाटीदार से दौराने मांग सत्यापन परिवादी पर दबाव बनाकर अपनी मांग अनुसार सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार से 8,000 रूपये जरिये गुगल पे अपने खाते में ट्रांसफर करा रिश्वत राशि 8,000 रूपये प्राप्त कर ली गई हैं, अब आरोपी श्री विवेकानन्द को रिश्वत् राशि देने एवं बरामद करने संबंधित कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 19.12.2024 को समय करीब 12.40 पीएम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार व आरोपी श्री विवेकानन्द के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री भूपेश पाटीदार, सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 390 से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर पृथक से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री भूपेश पाटीदार ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री विवेकानन्द की होने की ताईद की। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अकब से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। समय करीब 05.25 पी.एम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार को अति आवश्यक कार्य होने से घर जाना था, जिस कारण प्रकरण अग्रिम कार्यवाही दिनांक 26.12.2024 को की जावेगी। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 26.12.2024 को ब्यूरो कार्यालय में प्रातः 10.00 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत देकर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार, सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार एवं स्वतंत्र गवाहान को रवाना किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 26-12-2024 को समय करीब 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार तथा श्री महेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियंता एवं श्री शत्रुघ्न अहारी कनिष्ठ सहायक कार्यालय में उपस्थित हुए। परिवादी श्री भूपेश पाटीदार ने जिस समय उसकी व श्री विवेकानन्दजी के बीच लेनदेन वार्ता हुई, उसकी विडियो रिकॉडिंग पेनड्राईव में दी। उक्त पेनड्राईव को सुरक्षित रिकॉर्ड में रख लिया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 19.12.2024 को समय करीब 03.46 पीएम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार व आरोपी श्री विवेकानन्द के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन/लेनदेन वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी श्री भूपेश पाटीदार, सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 390 से लेपटॉप से कनेक्ट करा उक्त वार्ता को चलाकर सुनाई जाकर पृथक से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की गई। उक्त वार्ता में परिवादी श्री भूपेश पाटीदार ने अपनी आवाज एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार की आवाज के अलावा अन्य आवाज आरोपी श्री विवेकानन्द की होने की ताईद की। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अकब से मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। समय करीब 01.00 पी.एम पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड Master Micro कम्पनी का 8GB SDHC Card के सरकारी लेपटॉप से श्री महेश कुमार कानि. से कनेक्ट करा दिनांक 19.12.2024 को समय 12.40 पीएम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार व आरोपी श्री विवेकानन्द के मध्य हुई मांग सत्यापन वाता एवं समय 03.46 पीएम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार व आरोपी श्री विवेकानन्द के मध्य हुई मांग सत्यापन/लेनदेन वार्ता तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा अन्य फाईले जिसमें काम सम्बंधी वार्ताए नही होने से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब नही की गई है, की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव में रिकॉर्डशुदा सम्पूर्ण वार्ताओं की हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये एवं मूल पेनड्राईव Sandisk Cruzer Blade 32GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के

हस्ताक्षर करवा करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव Sandisk Cruzer Blade 32GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। जिसकी फर्द अकब से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 01.30 पी.एम पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी लेपटॉप से श्री महेश चन्द्र कानि. से कनेक्ट करा दिनांक 19.12.2024 को समय 12.40 पीएम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार व आरोपी श्री विवेकानन्द के मध्य हुई मांग सत्यापन वाता एवं समय 03.46 पीएम पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार व आरोपी श्री विवेकानन्द के मध्य हुई मांग सत्यापन/लेनदेन वार्ता तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा अन्य फाईले जिसमें काम सम्बंधी वार्ताए नही होने से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब नही की गई। मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा सम्पूर्ण वार्ताओं की हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया जो Master Micro कम्पनी का 8GB SDHC Card है, उक्त मूल मैमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कवर मय मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट किया जाकर थैली पर एक सफेद कागज की चीट लगाकर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क M दिया जाकर जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार जब्त किया गया। जिसकी फर्द अकब से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब पर परिवादी श्री भूपेश पाटीदार ने जिस समय उसकी व श्री नरेश पाटीदार एवं श्री विवेकानन्दजी के बीच मांग सत्यापन व लेनदेन वार्ता हुई, उसकी विडियो रिकॉडिंग पेनड्राईव में दी। उक्त पेनड्राईव को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान, परिवादी भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार के समक्ष श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नं. 390 से लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर दिखाई गई। उक्त विडियो रिकॉडिंग की एक अलग से पेनड्राईव तैयार की गयी। उक्त पेनड्राईव Sandisk Cruzer Blade 32GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा परिवादी द्वारा पेश पेनड्राईव Sandisk Cruzer Blade 8GB को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। जिसकी फर्द अकब से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही विरूद्व श्री विवेकानन्द निरीक्षक में जब्तशुदा सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को सुर्पद कर निर्देशित किया कि उक्त जप्तशुदा आर्टिकल को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार तथा गवाहान श्री महेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियंता एवं श्री शत्रुघ्न अहारी कनिष्ठ सहायक को मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किये गये। प्रकरण में परिवादी श्री भूपेश पाटीदार द्वारा दिनांक 18.12.2024 को पेश प्रार्थना पत्र, फर्द रिश्वत् मांग सत्यापन/लेनदेन एवं ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात से स्पष्ट है कि श्री विवेकानन्द निरीक्षक कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया जिला डूंगरपुर द्वारा परिवादी श्री भूपेश पाटीदार से उसके NGO(ब्राईट फ्यूचर संस्थान) उपरगॉव, जिला डूंगरपुर को अप्रुवल करने की एवज में 8000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 19.12.2024 को नियमानुसार रिश्वत् मांग सत्यापन कराया गया। दौराने रिश्वत् मांग सत्यापन आरोपी श्री विवेकानन्द निरीक्षक द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री भूपेश पाटीदार एवं सहपरिवादी नरेश पाटीदार पर दबाव बनाकर सहपरिवादी श्री नरेश पाटीदार से 8000 रूपये रिश्वत राशि गुगल पे से अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिये जो जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित हैं। अतः आरोपी श्री विवेकानन्द निरीक्षक कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया जिला डूंगरपुर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्ष, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विवेकानंद पिता इन्द्रदेव सिंह उम्र 57 वर्ष, निवासी ग्राम मिल्की चकरामपुर, पोस्ट जैंतीपुर कुरूआ, जिला जहानाबाद, राज्य बिहार तत्कालीन निरीक्षक ग्रेड-प्रथम,कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ऋषिकेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 429 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 236-39 दिनांक 25.02.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर, 2.रजिट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर। 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RISHIKESH undefined **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/01/1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)